

**प्रेस विज्ञप्ति
गृह विभाग
बिहार सरकार**

दिनांक: 27.07.2026

NEET/UG परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शनों एवं उससे उद्भूत परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की माँगों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित आश्वासन दिये जाते हैं:-

- (क) दिनांक 26.07.2026 के संध्या 06 बजे से पहले तक बिहार राज्य के किसी भी हिस्से में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दण्डात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।
- (ख) उक्त प्रतिरोध के दौरान दिनांक 26.07.2026 को संध्या 06 बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिये विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जायेगी।
- (ग) दिनांक 26.07.2026 की संध्या 06 बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त किया जायेगा।
- (घ) दिनांक 26.07.2026 की संध्या 06 बजे के पूर्व दर्ज कांडों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई कांडों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी नहीं की जायेगी।

27/7/26

**सुत्रनील सिंह, भा०पु०से०
विशेष सचिव**

Press release
Home Department
Government of Bihar

Dated-27.07.2026

The Government of Bihar gives the following assurances – in connection with the protests related to the alleged irregularities in NEET/UG examination and the consequent demand for accountability and reforms in the examination and higher education sector:

No adverse legal action – punitive/retaliatory – shall be taken by the Government against any individual participating in the protests before 6 P.M. on 26.07.2026, across the entire state.

Also, the legal process for withdrawal of all existing First Information Report (FIRs), criminal complaints or showcause notice against individuals, before 6 P.M. on 26.07.2026 on account of their participations in the said protests, will be initiated immediately.

Furthermore, all the persons arrested/detained in connections with the cases registered before 6 P.M. on 26.07.2026, shall be released immediately.

Lastly, in all these cases registered before 6 P.M. on 26.07.2026, no action, directly or indirectly, will be taken against such individuals in future as well.

Kshtranil Singh, IPS
Special Secretary